

## कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, चतरा ।

### भाग- 01

#### ई-निविदा / निविदा आवश्यक शर्तें :-

1. सदर अस्पताल चतरा, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के लिए पंजीकृत ख्याति प्राप्त ISO 9001:2008/9001:2015 एवं PSRA Act 2005 द्वारा निबंधित आउट सोर्सिंग एजेंसियों से निविदा आमंत्रित की जाती है ।
02. प्राप्त निविदा असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, चतरा के कार्यालय में निर्धारित तिथि अनुरूप खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं । सर्वप्रथम तकनीकी भाग के मूल्यांकनोपरांत मात्र सफल निविदा दाताओं के दर भाग को खोला जायेगा ।
03. निविदा को अन्तिम रूप से किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है ।
04. चयनित एजेंसी को उपरोक्त शर्तों के संबंध में एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा । किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र चतरा होगा ।
05. असफल/अस्वीकृत निविदादाता को बिना ब्याज के अग्रधन की राशि वापस कर दी जायेगी। सफल निविदादाता यदि कार्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों तक सभी औपचारिकतायें पूरी करके कार्य प्रारम्भ नहीं करते हैं तो निर्गत आदेश रद्द किया जा सकता है तथा अग्रधन की राशि जब्त की जा सकती है ।
06. अनुबंध की अवधि एक वर्ष की होगी, जिसकी गणना कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से की जायेगी । कार्य अवधि का विस्तार कार्य की समीक्षा करके संतोषजनक परफोरमेन्स पाये जाने पर समिति द्वारा किया जा सकता है ।
07. विगत तीन वित्तीय वर्षों में एजेंसी का न्यूनतम 3,00,00,000 /- (तीन करोड मात्र) का Total Turnover (कारोबार) होना चाहिए (अर्थात वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के प्रत्येक वित्तीय वर्ष 10000000 /- एक करोड)

08. एजेसी को गृह विभाग, झारखंड सरकार की अधिसूचना सं० 5-Security (07) – 03/2009 (Home) 3839/ Dated 16.09.2010 के प्रावधान, अहर्ता, शर्तें इत्यादि के अनुरूप निबंधित होना चाहिए ।
09. एजेसी के द्वारा ड्यूटी पर लाये गये कर्मियों का सभी साजो सामान यथा-वर्दी, बूट, कैप इत्यादि से लैस रहना होगा साथ ही सभी के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र रखना तथा चेस्ट पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा ।
10. एजेसी को सरकारी प्रावधानानुसार **ESI, EPF** एवं अन्य संबंधित देयों के भुगतान की प्राप्त रसीद/चालान कार्यरत सुरक्षा प्रहरी कर्मचारियों के पक्ष में जमा किया गया हो को विपत्र के साथ उपलब्ध करवानी होगी ।
11. एजेसी को किसी भी सरकारी अस्पताल संस्थान में न्यूनतम पाँच वर्ष कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
12. एजेसी को जैसे कर्मी को सुरक्षा कर्मी के रूप में प्राथमिकता देते हुए प्रतिनियुक्त करना है जो थल सेना, वायु सेना तथा जल सेना से सेवानिवृत्त हो एवं उक्त सुरक्षा कर्मी शारीरिक रूप से सक्षम हो और 60 वर्ष से कम आयु के हो ।
13. सफल एजेसी के साथ किसी प्रकार का स्वामी एवं सेवक का संबंध स्थापित नहीं होगा । एजेसियों को सभी कर्मियों के पासपोर्ट/मतदाता सूची प्रमाण पत्र/पैनकार्ड/आधार कार्ड की अभिप्रमाणित कार्यालय को उपलब्ध करवायेगें ।
14. पालियो का समय निम्नवत् होगा :-
- (क) प्रातः 06.00 बजे से दिन के 2.00 बजे तक ।
- (ख) दिन के 2.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ।
- (ग) रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक ।
- (घ) या अस्पताल प्रबंधक के रोस्टर के अनुसार ।
15. एजेसी के द्वारा निम्नलिखित अहर्ताएँ पूरा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी ।
16. सफल निविदादाता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा ।
17. आवश्यकतानुसार मैन पावर घटाया या बढ़ाया जा सकता है ।

18. सफल निविदादाता को कार्यादेश के आलोक में विभाग से आवंटन प्राप्त होने पर कार्य अवधि के विपत्रों का भुगतान किया जायेगा ।

क्र०	एजेंसी की अहर्ताए	पृष्ठ सं०
01	एजेंसी का पूरा नाम एवं पता	
02	एजेंसी का निबंधित पता	
03	एजेंसी का स्थानीय पता, दूरभाष संख्या एवं ई-मेल आईडी	
04	एजेंसी को गृह विभाग, झारखंड सरकार की अधिसूचना सं० <b>5-Security (07) – 03/2009 (Home) 3839/ Dated 16.09.2010</b> के प्रावधान, अहर्ता, शर्तें इत्यादि के अनुरूप निबंधन के प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें	
05	विगत तीन वित्तीय वर्षों में एजेंसी का न्यूनतम 3,00,00,000/- (तीन करोड़ मात्र) का <b>Total Turnover</b> (कारोबार) प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें (वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के प्रत्येक वित्तीय वर्ष 10000000/- एक करोड़)	
06	भविष्य निधि कोड संख्या (EPF) प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें	
07	कर्मचारी राज्य बीमा संख्या (ESI) प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें	
08	सेवा कर निबंधन संख्या प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें	
09	आयकर स्थायी लेखा संख्या प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें	
10	ISO 9001:2008/9001:2015 की निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें	
11	PSRA Act 2005 का निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें	
12	निविदादाता को जिलाधिकारी (DC/DM) स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें) चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा ।	
13	3000/- (तीन हजार) निविदा शुल्क एवं 100000/- (एक लाख) अग्रधन राशि का विवरण <b>Name of Bank Demand Draft No- Amount</b>	
14	आयकर का अद्यतन वार्षिक रिटर्न वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की छायाप्रति संलग्न करें	
15	सर्विस टेक्स का अद्यतन रिटर्न वित्तीय वर्ष 2016-17 की छायाप्रति संलग्न करें	
16	विगत तीन वर्षों की <b>Chartered Accountant</b> से अकेंक्षित <b>Balance Sheet</b> (छायाप्रति संलग्न करें)(वित्तीय वर्ष 2013-14,	

	2014–15 एवं 2015–16)	
17	सरकारी विभागों/कार्यालयों एवं संस्थाओं में कम से कम 100 (एक सौ) कर्मचारियों का कार्यरत होने का प्रमाण पत्र (अद्यतन)	
18	नोटरी/मेजिस्ट्रेट के समक्ष का शपथ पत्र, जिसमें यह उल्लेख हो कि निविदा में दी गई सूचनाएँ सही हैं ।	
19	नोटरी/मेजिस्ट्रेट के समक्ष का शपथ पत्र, जिसमें यह उल्लेख हो कि सुरक्षा एजेंसी को किसी विभाग के द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है ।	
20	सुरक्षा एजेंसी को किसी भी सरकारी संस्थान में न्यूनतम पाँच वर्षों (2012 से 2016 तक) कार्य अनुभव का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा । प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कागजात मान्य नहीं होगा ।	
21	अद्यतन वाणिज्यकर अनापति प्रमाण पत्र (सफाई व्यवस्था के लिए)	

असैनिक शल्य चिकित्सक सह  
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,  
चतरा ।



13	Registrati on Clerk	Skilled												
14	Medical Record Officer	Highy Skilled												
15	Electricia n	Skilled												
16	Plumber	Skilled												
17	OT Asst.	Skilled												
18	Ambulanc e Driver	Skilled												
19	Medical Officer	Skilled												
20	जेनरेटर ऑपरेटर	Skilled												
21	ANM	Skilled												
22	पोस्टमार्टम सहायक कर्मी	Un- Slilled												

Note :- This rates quoted above are based on minimum wages and inclusive of all statutory obligation as per Union/State Government Specification

असैनिक शल्य चिकित्सक सह  
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,  
चतरा ।